न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या 491/2019

निर्णय दिनांक 24/12/2021

1. मुरली पत्नि रामलाल जाति अहीर, निवासीः ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का टांकरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. हंसा देवी पुत्री रामलाल पत्नि श्री कैलाश जाति अहीर, निवासीः ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. कालूराम उर्फ काल्या पुत्र काना
2. चन्दालाल पुत्र भूराराम
3. राजकुमार पुत्र रामलाल
4. नेमीचन्द पुत्र रामलाल
5. नरेन्द्र पुत्र रामलाल
6. कजोड पुत्र सुन्दर
7. सूणा पुत्र बालू
8. कजोड पुत्र भूरा
9. रामदेव पुत्र श्यामलाल
10. गणेश पुत्र बालू (दौराने दावा मृतक)
    समस्त जाति अहीर, निवासीः ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का टांकरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
13. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा चौमू, जरिये प्रबंधक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा चौमू, जिला जयपुर।
14. मोहनी देवी पत्नि राधेश्याम जाति अहीर, निवासीः अहीरों की ढाणी, रामनाथपुरी, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 25.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 173/2012 उनवान कालूराम उर्फ काल्या बनाम चन्दालाल व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर द्वारा वाद पत्र संख्या 173/2012 बउनवानी कालूराम उर्फ काल्या बनाम चन्दालाल व अन्य में पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 25.06.2016 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का टांकरडा तहसील चौमू जिला जयपुर में आराजीयात खसरा नंबर 148, 149/618, 154/619, 155/620, 156, 157/621, 181/626, 182, 197, 198, 199, 200, 204, 205, 208, 209 एवं 210/566 कुल किता 17 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/6 निहित है शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 का है जिसको अर्से दराज से बाहमी बंटवारा कर रखा है। बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है जिसमें वादी के पास खसरा नंबर 199, 209 एवं 210/566 पर काबिज काश्त है तथा खसरा नंबर 208 में से आमद रफत का रास्ता स्थित है लेकिन विवादग्रस्त आराजीयात का विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। विवादित भूमि का वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 अलग अलग लगान अदा करते आ रहे है तथा विवादित भूमि में वादी का हिस्सा 1/6 निहित है जिसके अनुसार वादी विवादित भूमि का बांहमी बंटवारे के अनुसार उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादीगण गैर कानूनी तरीके से उसके नाम दर्ज खातेदारी को बिना कानूनी रूप से समक्ष न्यायालय में विभाजन करवाये, बेचान विशिष्ट भू भाग व वादी के हक हिस्से की भूमि का अपरिचित क्रेताओं को बिना कानूनी विवादित भूमि का तकासमा करवाये हस्तान्तरण करना चाहते है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि यदि उक्त भूमि का बेचान या हस्तान्तरण हो जाता है तो अपरिचित क्रेतागण लाठी के बल पर वादी को विवादित भूमि से बेदखल कर विशिष्ट भू भाग पर कब्जा कर लेगे जिससे वादी अपने हक हिस्से की भूमि से महरूम हो जावेगे जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। अभी कुछ दिनों पूर्व प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर अपरिचित क्रेतागण को साथ लेकर आये और विवादित भूमि की सीमाये बेचने के उद्देश्य से दिखाने लगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया कि अपनी भूमि का विधिवत तकासमा नहीं हुआ है इस कारण अपरिचित क्रेतागण को बिना किसी तकासमा के विशिष्ट भू भाग का बेचान व विशिष्ट भू भाग पर अपरिचित क्रेतागण को कब्जा करवाने का अधिकार नहीं है जिस पर प्रतिवादीगण ने स्पष्ट शब्दों में मना किया कि हम तो भूमि का बेचान करेगे क्रेता अपने आप कब्जा ले लेगा। इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का टांकरडा, तहसील चौमू जिला जयपुर में आराजीयात खसरा नंबर 148, 149/618, 154/619, 155/620, 156, 157/621, 181/626, 182, 197, 198, 199, 200, 204, 205, 208, 209 एवं 210/566 कुल किता 17 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर स्थित है, का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर एवं कब्जे व रास्ते को मध्यनजर रखते हुये तकासमा किया जाकर वादी का पर्चा अलग से बनाया जाकर लगान अलग–अलग निर्धारित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 विवादित भूमि के किसी विशिष्ट भू भाग को किसी तरह से दीगर व्यक्तियों को हस्तान्तरण नहीं करे, वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे, ऐसा न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 25.06.2016 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर तहसीलदार चौमू को वादग्रस्त आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

का वादी व प्रतिवादी के मध्य उनके दर्ज हिस्से अनुसार कब्जा काश्त मकानात/रहवास को ध्यान में रखते हुये एवम् सभी खातेदारों के लिये रास्ते की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कुरैजात तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट का वाद में गलत पता अंकित कर फर्जी तामील करवाई गई है। अपीलान्ट को विधिवत नोटिस तामील नहीं हुये। अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी नहीं हुई जिससे अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व गलत तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय डिक्री कैम्प में पारित की गई है जिस हेतु भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सूचना नहीं दी गई, ना ही नोटिस तामील करवाये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवम् अपीलान्ट की तामील विधिवत हुई है अथवा नहीं पर ध्यान न देकर, अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2016 खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी जवाब बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2016 के विरूद्व दिनांक 17.09.2019 को प्रस्तुत की है जो 3 वर्ष की अवधि मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है जिस हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है जिसमें निर्णय की जानकारी नहीं होने के सन्दर्भ में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है मात्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को वाद के नोटिस तामील नहीं होने का उज्र उठाया गया है जिसके सन्दर्भ में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.09.2019 के माध्यम से यह तथ्य अंकित करते हुए कि प्रार्थी के रजिस्टर्ड नोटिस प्रार्थी के भाई द्वारा प्राप्त किये गये है इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से यह तथ्य अंकित करते हुए स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को पत्रावली पर मौजूद नक्शे कुरैजात पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्रार्थी के भाई द्वारा प्राप्त किये गये है जिससे जानकारी नहीं होने का तथ्य निराधार है इस कारणवश अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में आगे पुनः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवम् न्यायालय हाजा के समक्ष की गई बहस का सन्दर्भ देते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जबकि अपील एवम् बहस में मात्र अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रोपर तामील नहीं करवाये जाने का उज्र उठाया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में न्यायालय हाजा का ध्यान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. की ओर आकर्षित कराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्व कोई अपील नहीं की गई है इसलिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

इस अपील के माध्यम् से मात्र तामील के बिन्दु पर अपील संधारणीय नहीं रहती। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

4. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवम् अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। यद्यपि न्यायालय हाजा के समक्ष अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व तीन वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है। इसके अतिरिक्त अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया है, के सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में मुख्य रूप से तामील का बिन्दु उठाया है जबकि अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. में पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत नहीं की गई है। यहां यह स्पष्ट किया जाना समीचीन होगा कि किसी वाद में जो कि तकासमा से सन्दर्भित है कि प्रारम्भिक डिक्री पारित करते समय न्यायालय मात्र पक्षकारान् के प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में उनके हिस्सों का निर्धारण करता है। अपीलार्थीगण द्वारा अपनी बहस अथवा अपील के माध्यम से यह कही उल्लेखित नहीं किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वाद के माध्यम से गलत हिस्से दर्ज होने की वजह से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है वह गलत है जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् के प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में उनके निर्धारित हिस्से हेतु जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है, वह उचित पारित की गई है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. पर पारित आदेश का भी अवलोकन किया गया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट्स को पत्रावली पर मौजूद नक्शे कुर्रेजात पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि यदि प्रारम्भिक डिक्री के माध्यम से अपीलार्थी के हिस्से निर्धारण के सन्दर्भ में अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं है जो अपीलार्थी की अपील एवम् बहस से प्रतीत होता है तो अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की दी गई छूट अनुसार अपनी आपत्ति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2016 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 24/12/2021 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर